



उत्तर प्रदेश होमियोपैथिक मेडिसिन बोर्ड

होमियोपैथी भवन

2, नबीउल्लाह मार्ग, लखनऊ-226018

मो०नं० : 7607355882

पत्रांक-2453/एच०एम०बी०/692/2022

दिनांक 25.10.2022

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रबंधक,

मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त समस्त डी०एच०पी० कालेज,

उत्तर प्रदेश।

अति महत्वपूर्ण/तत्काल

द्वारा- बोर्ड वेबसाइट

विषय: कोविड-19 महामारी के चलते डी०एच०पी० सत्र 2019-20 के प्रथम वर्ष में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में।


महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश होमियोपैथिक मेडिसिन बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक-435/एच०एम०बी०/684/2021, दिनांक 09.02.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-246/96-आयुष-2-2021-85/2014 टी०सी० दिनांक 05.02.2021 द्वारा शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश होमियोपैथिक मेडिसिन बोर्ड, लखनऊ में दिनांक 08.02.2021 को हुई बोर्ड की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार आप सभी को सूचित किया गया था कि कोविड-19 महामारी के चलते डी०एच०पी० शैक्षणिक सत्र 2019-20 के प्रथम वर्ष में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को द्वितीय वर्ष में प्रोन्नति किये जाने का बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया है। कृपया बोर्ड के उक्त निर्णय से अवगत होते हुए डी०एच०पी० शैक्षणिक सत्र 2019-20 के प्रथम वर्ष में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को द्वितीय वर्ष में प्रोन्नति किये जाने की कार्यवाही करें।

2- उक्त के क्रम में बोर्ड की वेबसाइट के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आप द्वारा डी०एच०पी० शैक्षणिक सत्र 2019-20 के प्रथम वर्ष में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को द्वितीय वर्ष में प्रोन्नति किये जाने की कार्यवाही करके प्रमाणित सूची बोर्ड के ई-मेल पर उपलब्ध कराये जाने के बजाय छात्र/छात्राओं की लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा के काल्पनिक अंक अपलोड किये जा रहे हैं। जब उक्त सत्र के छात्र/छात्राओं की परीक्षा हुई ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में काल्पनिक अंक अपलोड किया जाना त्रुटिपूर्ण।


3- अतः आप सभी को निम्नवत् निर्देशित किया जाता है:-

1. बोर्ड की बैठक दिनांक 08.02.2021 में लिये गये निर्णय के क्रम में तत्कालीन रजिस्ट्रार के उपर्युक्त संदर्भित पत्र दिनांक: 09.02.2021 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार डी०एच०पी० सत्र 2019-20 के प्रथम वर्ष में जिन छात्र/छात्राओं का इन्रोलमेन्ट हुआ


Registrar
Homoeopathic Medicine Board
U.P. Lucknow

हों, जिनके परीक्षा फार्म भरे गये हों, तथा कोविड-19 महामारी के चलते जिन्हें प्रथम वर्ष से द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत किया गया हो, की प्रमाणित सूची सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रबंधक (अपने कालेज के रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी0 के माध्यम से) बोर्ड के ई-मेल registrar@hmbup.in पर तत्काल अपलोड करके उपलब्ध करायें तथा उक्त सूची सत्य एवं प्रमाणिक है, एतद्विषयक शपथ-पत्र के माध्यम से लिखित रूप में बोर्ड को (हार्डकापी में भी) उपलब्ध करायें।

2. उक्त सूचनाएँ उपलब्ध होने के उपरान्त बोर्ड द्वारा सभी मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त कालेजों के डी0एच0पी0 सत्र 2019-20 के उपयुक्त पाये गये छात्रों को प्रथम वर्ष से द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत किये जाने विषयक प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा।
3. सभी कालेज/संस्थाएँ अपनी मान्यता/सम्बद्धता तथा नियमानुसार परीक्षा फार्म भरने वाले एवं इन्रोलमेन्ट कराने वाले छात्रों के व्यक्तिगत विवरण/उनकी पात्रता के सम्बन्ध में स्वयं पूरी तरह से संतुष्ट हो लेंगे।
4. यदि किसी संस्था का कोई अभ्यर्थी गलत पाया जायेगा तो इसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

भवदीय,

(शैलेन्द्र कुमार)
रजिस्ट्रार